



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062022-236229
CG-DL-E-02062022-236229

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2409]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 1, 2022/ज्येष्ठ 11, 1944

No. 2409]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 1, 2022/JYAISTHA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2022

का.आ. 2536अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 337 (अ), तारीख 5 फरवरी 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में तारीख 5 फरवरी 2014 को प्रकाशित की गई थी, में एतद्वारा निम्न लिखित संशोधन करती हैं, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में, -

"उप विभागीय अधिकारी, पंढरपूर" शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर "उप जिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र.7 (मोहोळ), सोलापूर" शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

[फा. सं. भाराराप्रा/पीआययू/एसएलपी/एलए/23011/1/22]

राजेश गुप्ता, उप-सचिव

पाद टिप्पणी: मूल अधिसूचना का. आ. 337 (अ) तारीख 5 फरवरी 2016, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग प्पू खण्ड 3, उप-खण्ड (पप) तारीख 5 फरवरी 2016 में प्रकाशित की गई थी !

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st June, 2022

S.O. 2536(E).—In exercise of Power confirmed by clause (a) of section 3 of National Highways Act 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby make the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 337 (E) dated the 5th February 2014, Published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 5th February 2014 - namely: -

In the Preamble to the said notification—

For the words and figures “Sub Divisional Officer Pandharpur”, the words, figures and “Deputy Collector Land Acquisition No. 7 (Mohol), Solapur”, shall be substituted.

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/23011/1/22]

RAJESH GUPTA, Director

Footnote: The Principal Notification was published vide S.O. 337(E), dated the 5th February 2014, in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 5th February 2014.